



नगर निगम, गोरखपुर
सामान्य निविदा सूचना

नगर निगम गोरखपुर द्वारा पथ प्रकाश विभाग में पथ प्रकाश विस्तार कार्य कराये जाने के लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपर नगर आयुक्त, पथ प्रकाश कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, गोरखपुर को होगा।


निविदा डालने तिथि व समय


क्र. सं.	विवरण	दिनांक एवं समय
1	निविदा फार्म की बिक्री तिथि व समय	10/04/2026 से 16/04/2026 तक
2	निविदा डालने की अन्तिम तिथि व समय	17/04/2026, 3:00 PM
3	निविदा खोलने की तिथि व समय	17/04/2026; 4:00 PM

कार्यों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	आगणन धनराशि	जमानत की धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1	वार्ड नं. 18 गायत्री नगर, झरना टोला व नाथ नगर एवं विभिन्न स्थानों पर पोल व लाइट लगाये जाने का कार्य।	6,95,966.72	70000.00	820.00

नोट:- इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से नगर निगम गोरखपुर की वेबसाइट www.gorakhpurnagarnigam.up.gov.in / नोटिस बोर्ड पर देखते रहें क्योंकि निविदा के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट व नोटिस बोर्ड पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।


प्रभारी अधिकारी (POPRO)
नगर निगम गोरखपुर,।


अपर नगर आयुक्त
नगर निगम गोरखपुर,।



नगर निगम, गोरखपुर

पथ प्रकाश विभाग द्वारा वार्ड नं. 18 गायत्री नगर, झरना टोला व नाथ नगर एवं विभिन्न स्थानों पर पोल व लाइट लगाये जाने के लिए विस्तृत नियम एवं शर्तें-

1. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र शुल्क रूपमा 820.00 (With GST) जमा कर (जो वापस नहीं होगा) निविदा प्रकाशित होने के दिनांक 10/11/2025 से दिनांक 16/11/2025 तक ही किसी भी कार्य दिवस में पथ प्रकाश कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. निविदा के साथ प्रयाशे अधिकारी (पथ प्रकाश), नगर निगम, गोरखपुर के पक्ष में वधक रखते हुए रु. 70,000.00 एनओएससीओ एफ-0डीओआर जमा करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा खुलने की तिथि पर आकरिभक अवकाश पर जाने पर निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
4. तकनीकी प्रस्ताव, वित्तीय प्रस्ताव एवं सत्यकार धनशशि (अनेस्ट मनी) पृथक-पृथक लिफाफों में बन्द करते हुए तीनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सील बन्द कर निविदा डाली जायेगी। तकनीकी रूप से अर्ह एवं निर्धारित सत्यकार धनशशि (अनेस्ट मनी) जमा करने वाली सेवा प्रदाता फर्मों/गैर सरकारी संगठनों/समितियों/संस्थानों के ही वित्तीय प्रस्ताव खोली जायगा।
5. पूर्ण रूप से भरे हुए एवं यथा स्थान हस्ताक्षरित तकनीकी व वित्तीय प्रस्ताव पर ही विचार किया जायेगा।
6. निविदादाता का तकनीकी प्रस्ताव के साथ निविदा मूल्य जमा करने की मूल रसीद एवं निम्न प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - a. परियोजना संख्या एवं निविदा मूल्य जमा करने की सम्बन्धी मूल रसीद।
 - b. प्रपत्र दिवस के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएं/प्रपत्र की सत्यता एवं किसी अन्यथा/जको सत्यकार/गैर सरकारी संस्था में ब्लक लिस्ट में नहीं है के सम्बन्ध में नोटरी द्वारा प्रमाणित सत्य पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - c. लेटरहेड पर डिजिटेशन की कॉपी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - d. पैन कार्ड एवं अद्यतन 3 वर्ष का ITR
 - e. वित्तविकारी कार्यालय से जारी हेरियत एवं वरिष्ठ प्रमाण पत्र।
 - f. सम्बन्धित कार्य का अनुमान प्रमाण पत्र।
 - g. पोल, पोल व लाइट लगाये के उपरान्त 01 वर्ष तक सम्पूर्ण कार्य का रखा रखाव व मरम्मत किये जाने की गारंटी व लगाये गये एलईडी लाइट की 05 वर्ष की वारंटी देना अनिवार्य होगा, जिसका प्रमाण पत्र निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
 - h. को विशेष विस्तृत लाईसेंस निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
7. तकनीकी प्रस्ताव में अर्ह पाये जाने वाले निविदादाता का ही वित्तीय प्रस्ताव खोला जायेगा।
8. सफल निविदादाता द्वारा उक्त कार्य में एलईडी लाइट AAA कॅटेगरी की लगाना अनिवार्य होगा।
9. निविदा प्रपत्र एवं कोड की जानकारी के लिए पथ प्रकाश कार्यालय, नगर निगम, गोरखपुर से किसी भी कार्य दिवस में प्रपत्र की जा सकती है।
10. विशय पर ईमेल/वेबसाइट में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना नगर निगम गोरखपुर की वेबसाइट <https://gorakhpurnagar.nag.nip.gov.in>, नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जायेगी। प्रत्येक निविदादाता को यह निगरानी होगी कि वह निविदा का प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात निविदा के सम्बन्ध में जाने वाले किसी भी सशोचन/सूक्ति पत्र की जानकारी प्रपत्र करवा कर, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण दिग्गोदारी निविदादाता को जायेगी।
11. पूर्ण रूप से भरे हुए एवं यथा स्थान हस्ताक्षरित तकनीकी व वित्तीय प्रस्ताव पर ही विचार किया जायेगा।
12. नियम एवं शर्तों सहित अन्य प्रपत्र पर निविदादाता का सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।
13. यदि ठेकेदार/फर्म/संस्थान द्वारा संलग्न किये गये प्रपत्र जाव के समय असत्य पाया जाता है तो सम्बंधित ठेकेदार/फर्म/संस्थान के प्रति अग्रियोग पंजीकृत करते हुए ब्लेक लिस्ट कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
14. सफल एवं एकल निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. सफल निविदादाता द्वारा यदि समय से कार्य पूर्ण नहीं किया जाय है तो नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर का यह अधिकार होगा कि वह कार्य को किसी अन्य से करा ले तथा इस प्रक्रिया में जो निगम को अधिक व्यय करना पड़ेगा वह निविदादाता के धरोहर धनशशि से जवा करके पूर्ण कर लिया जायेगा।
16. निविदा की आर्थिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम गोरखपुर को अग्रियोग पंजीकृत होगा, किसी भी विवाद के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम गोरखपुर का निर्णय अन्तिम एवं बाधक होगा।
17. किसी जाव को दखल में अन्यथा नगर निगम गोरखपुर कार्यालय का होगा।

प्रगारी अधिकारी (प0प्र0)
नगर निगम गोरखपुर।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम गोरखपुर।